न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 194/2017

प्रार्थीगण
1– श्रीमति सुशीलाबेन पत्नी श्री इन्द्रलाल
2– भवानीशंकर पुत्र मगनलाल
3– दुर्गादेवी पत्नी अरविन्दकुमार
4– प्रियंका पत्नी विनय ओझा पुत्री अरविन्दकुमार
सभी आयु व्यस्क
5– स्वीटी पुत्री अरविन्दकुमार आयु 28 वर्ष
6–भाविका पुत्री अरविन्द कुमार आयु अवयस्क
सभी जाति ब्राहाण निवासी गोल
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2– पन्नालाल पुत्र श्री मगनलाल आयु 65 वर्ष
जाति ब्राहाण निवासी गोल तह.व जि.सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री मोहनसिंह देवडा
2–अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)
3–अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री प्रमोदकुमार दवें

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 27–10–

प्रार्थीगण ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने क न्यायालय मे दि 8–12–2017 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण श्रीमति सुशीला बेन पत्नि इन्द भवानीशकर पुत्र मगनलाल ,पन्नालाल पुत्र मगनलाल व अरविन्द कुमार पुत्र श्री मगनलालजी जाति ब्राहाण नि गोल तहसील व जिला सिरोही की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम गोल पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही सिरोही मे कृषि आराजी (ए)खाता संख्या नया 356 पुराना 370 खसरा संख्या 1624 क्षैत्रफल 1.9000 हैक्टेयर च तथा कृषि आराजी (बी) खाता संख्या नया 355 पुराना 369 खसरा नंबर 1628 क्षैत्रफल 0.0300 हेक्टेयर किस्म कुंआ तथा खसरा नंबर 1629 क्षैत्रफल 1.8700 हेक्टेयर किस्म चाही 3 आई हुई है। पद संख्या एक वर्णित कृषि के भूप्रबन्ध से पूर्व पुराने खसरा नंबर 1179/8/3 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा किस्म पडतत–II नये खसरा नंबर रकबा 1.9000 हैक्टेयर किस्म चाही 3 व खसरा नंबर 1179/8/4 रकबा 11 बीघा 15बिस्वा किस्म पडत खसरा नंबर 1628 व 1629 कुलन रकबा 1.9000 हेक्टेयर किस्म चाही 3 दर्ज है। उक्त पुराने व नये खसरा के मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है। पद संख्याएक मे वणित कृषि भूमि खसरा संख्या जिसके पुराने खसरा नंबर 1179/8/3 रकबा 11 बीघा 15बिस्वा किस्म पडत II है जो कृषि भूमि प्रार्थीग रमेशकुमार पुत्र भूरालाल जाति ब्राहाण निवासी गोल तहसीलन व जिला सिरोही से नामान्तकरण 111/5–9–2002 से खरीद की हुई है। एवं दूसरी कृषि भूमि इसी से लगती हुई खसरा संख्या1628 व 162 कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 1179/8/4रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा किस्म पडत II है जो कृषि भूमि प्रार्थीग शान्तिलाल पुत्र रेवाशंकर जाति ब्राहाण निवासी गोल तहसील व जिला सिरोही से नामान्तकरण संख्या 968 f 12–6–1998 से खरीद की हुई है। उक्त दोनो खसरा नंबरान 1624 व 1629 किसम चाही व खसरा नंबर किसम गै.मु. कुंआ जहॉ लाईट कनेक्शन बोर खुदा हुआ है। खसरा नंबर 1624 व 1629 की कृषि भूमि की फस पानी से फसल पर पिलाई होती है। एवं उक्त खसरा नंबर 1624 व 1629 वर्तमान मे एक चक है क्योंकि खसरा 1624 जो कि खसरा नंबर 1629 का पास पास हिस्सा है क्योंकि सेटलमेण्ट से पूर्व खसरा नंबर 1624 के खसरा नंबर 1179/8/3 एवं खसरा नंबर खसरा नंबर 11628 ,1629 के पुराने खसरा नंबर 1179/8/4 f क्षैत्रफ लमे दर्ज है जो कि सेटलमेण्ट से पूर्व खसरा नंबर नये 1624 पुराने खसरा नंबर 1179/8/4 जो कि खसरा पास पास थे एवं प्रार्थीगण ने भी उसी पकार खरीदा एवं वर्तमान मे भी उक्त दोनो खसरा नंबर 162 1629 पर कृषि कार्य कर रहे है लेकिन सेटलमेण्ट के अधिकारियों ने मोके पर जाकर तरमीम नही करने के खसरा संख्या 1624 को [illegible] कर गलतत त्रुटिपूर्ण रेकर्ड तैयार किया हे जि दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त [illegible] से तरमीम नही होने से प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधि के प्रति शंका एवं व्यवधान [illegible] का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थीग निवेदन है कि प्राथीगण के आवेदन को [illegible] फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश कृषि भूमि जिसमे पुराने [illegible] है को नक [illegible] जमाबंदी ,मिलान क्षैत्रफ अडौस पडौस व मौके की स्थिति [illegible] नंबर 1624 ,1628 व [illegible] को मौके की स्थिति अ प्रार्थीगण के खातेदारी मे अंकित एवं तरमीम की [illegible] कर राजस्व रेकर्ड मे अमल [illegible] किये जाने का आदेश करना फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ मौजा गोल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2070 से
नया खाता नंबर 356 तथा जमाबंदी संवत 2070 2073 खाता नंबर नया 355 ,नक्शा किश्तवार ,मिलान क्षैत्रफल
गोल का खसरा नंबर 1624 ,1628 ,व 1629 का नया व पुराना नक्शा की प्रमाणित प्रतियों का गहनत
अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 8–12–
को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। विचारण प्रकरण मे सु
पेशी दिनांक 26–2–2018 को अप्राथीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीदार सिरोही ने दिनांक 1–5–2018 को जवा
न्यायालय मे पेश किया जिसे शामिल मिसल किया। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन
कि प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित भूमि मौजा गोल की जमाबंदी खतौनी संवत 2070 से 2073 के नया
संख्या 355 व 356 के अनुसार प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व अप्रार्थीगण संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि
जिसके खसरा नंबर 1628, 1629 व 1624 रकबा कमशः 0.0300 हैक्टेयर 1.8700 हैक्टेयर व 1.90 हैक्टेयर कुल
3.8000 हैक्टेयर है जिसकी जमाबंदी प्रति संलग्न है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन खसरा नंबर 1624, 1
1629 के पुराना खसरा नंबर क्रमशः 1179/8/3, 1179/8/4 व 1179/8/4मी है। उक्त भूमि को प्रार्थीग
जरिये पंजीबद्व विकय विलेख के जरिये खरीद करना बताया गया है। शेष कथन प्रार्थीगण स्वंय सिद्व करें।
तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे आगे यह कथन किया है कि भूपबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध के दौर
खसरा नंबर 1624 की भूमि को खसरा नंबर 1628 व 1629 की भूमि से अलग दर्शाया गया है जो राजस्
अनुसार सही है। वर्तमान मे खसरा नंबर 1624 की आराजी पर प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगण संख्या 2 का मौके प
नही है एवं ना ही उक्त आराजी पर कब्जा रहा है। उक्त आराजी पर अन्य काश्तकारों का पुराना कदम
काश्त है जो कृषि कुंआ मय जाव के चक का भाग है। पुराना मूल खसरा नंबर 1179 जो करीब 200 बीघा से
का चक था। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा माफिक कब्जा काश्त अनुसार राजस्व नक्शा मे भूमि दर्ज करने मे त्रुटि
पाई जा रही है। अतः उक्त मूल पुरानी आराजी का माफिक कब्जा अनुसार पुनः सर्वे आवश्यक है।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–3–2019 को अप्रार्थी संख्या 2 व
एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 28–2–2020 को वकी
पक्षकारान की प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर बहस सुनने के उपरान्त विचारण प्रकरण को गुणा
आधार पर निस्तारण करने की दृष्टि से प्रार्थी संख्या 3 मृतक अरविन्द के वारिसदार दुर्गा देवी पत्नि, प्रिय
स्वीटी पुत्री, भाविका पुत्री को रेकर्ड पर लेना उचित होने से प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का स्वीक
होने से स्वीकार किया गया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान को शामिल मिसल किया गर

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–8–2020 को वकील प्र
वकील अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकारसरकार (नायब तहसीलदार
द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस
द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस

हमने वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तह.सिरोही व
पैरोकार सरकार (ना.तह.कालन्द्री) की विचारण प्रार्थनापत्र पर अंतिम बहस सुनकर उस पर गहनता से मनन
विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा गोल तहसील सिरोही की जमा
2070 से 2073 नया खाता नंबर 356 तथा जमाबंदी संवत 2070 2073 खाता नंबर नया 355 ,नक्शा किश्तव
क्षैत्रफल मौजा गोल का खसरा नंबर 1624 ,1628 ,व 1629 का नया व पुराना नक्शा की प्रमाणित प्र
गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया। विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व दस्तावेजात
विश्लेषण के उपरान्त प्रकरण वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि तहसीलदार सिरोही ने अपने
यह स्वीकार किया है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध के दौरान नया खसरा नंबर 1624 की भूमि को र
1628 व 1629 की भूमि से अलग दर्शाया गया है जो राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। वर्तमान मे खसरा
की आराजी पर प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगण संख्या 2 का मौके पर कब्जा नही है एवं ना ही उक्त आराजी
उक्त आराजी पर अन्य काश्तकारों का पुराना कदमी कब्जा काश्त है जो कृषि कुंआ मय जाव के चक व
पुराना मूल खसरा नंबर 1179 जो करीब 200 बीघा से अधिक का चक था। जिस पर काबिज काश्त अ
द्वारा तरमीम चाही गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, सरकार के जवाब एवं नये व पुराने नक्शों के अवलोकन
यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि पुराने मूल खसरा नंबर 117
200 बीघा से अधिक का चक बताया है, उसमें प्रार्थी की खातेदारी पुराने नक्शें में कहाँ पर स्थित थी
मात्र पुराने कमिक खसरा नंबरान का उल्लेख किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी को य
रसाधिकारियों को उक्त खसरान में [illegible] भूमि आवंटित की गई हो अथवा उनकी खातेदारी
अमुक स्थान पर थी जिसे अनधिकृत [illegible] रूप से दर्ज किया गया हो। प्रार्थीगण द्वारा अपने
खातेदारी की स्थिति [illegible] तरमीम अंकित नहीं है। वर्तमान नक्शे अनु
खसरा नंबर 1629 1628 एवं 1624 के मध्य [illegible] नंबर 1696/1627 एवं 1697/1627 नक्शे में अंकित
रिकार्ड अनुसार किसी अन्य [illegible] है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरे के खातेद
प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है, [illegible] उनका मौका स्थिति का खुलासा रिकार्ड पर उपलब्ध है।
को वांछित अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराज
1956 के तहत अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गय
फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस
सिरोही राज.

न्यायालय सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
अधिकारी
सिरोही (राज.)